योजना आयोग ने वर्ष 1991-92 की कीमतों के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 1996-97 के लिए मसालों और चावलों का क्रमशः 447 करोड़ रू० और 1127 करोड़ रू० का निर्यात होने का अनुमान लगाया है। (स्रोतः आठवीं पंचवर्षीय योजा दस्तावेज)। गेहूं और मोटे अनाजों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

(ग) खाद्यान्नों और मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं—फसल पद्धतियां शुरू करने के चल रहे कार्यक्रमों में परिवर्तन, अन्तः क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, कम उत्पादकता स्तर वाले ब्लॉक/क्षेत्रों पर बल देना, त्रुटिपूर्ण मृदा में कार्बन और मृदा सुधारक का इस्तेमाल करना, एकीकृत पेस्ट प्रबंधन को अंगीकार करना, कृषकों को स्थान विशेष में उच्च पैदावार देने वाले बीजों का इस्तेमाल करने तथा कृषि-उपस्करों के लिए प्रोत्साहन देना, खेतों में प्रदर्शन, कृषकों को प्रशिक्षण देना, काली मिर्च के बागानों के लिए विशेष कार्यक्रमों को लागू करना, अदरक, हल्दी और मिर्च की रिलीज्ड किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन, गुणवत्ता रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रदर्शन-सह-उत्पाद बागानों की स्थापना और उनका रख-रखाव, उच्च पैदावार वाले क्षेत्र का विस्तारण और मृदा एवं जल संरक्षण उपायों को अपनाना।

खाद्यान्नों और मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं—अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी; क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना; बाजार विकास अभियान चलाना; उत्पाद विकास के लिए सहायकता देना; पैकेजिंग और गुणवत्ता प्रमाणन; और काली मिर्च (ब्राइन में काली मिर्च को छोड़कर), केसर, इलायची, मसाला तेल और ओलियोरेजिन के निर्यात पर 01.08.1996 से उपकर समाप्त करना।

Protection to Indian farmers following India's joining WTO.

1799. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the Indian agriculture has earned foreign exchange worth Rs.17,000 crores this year from exports of farm products as reported in the Times of India dated 8th November, 1996;

(b) if so, how much our farm sector consumed the amount of foreign exchange during the last two years; and

(c) the steps Government propose to take to protect the rights of indian farmers in the wake of the country joining the World Trade Organisation (WTO) regime; and

(d) whether disturbing reports of patenting of some Indian crop varieties by MNCs operating in the farming sector are true; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH) (a) The total exports of agricultural and allied products (including tea, coffee and raw cotton but excluding marine products) were valued at Rs. 16223.61 crores during 1995-96.

(b) It is not possible to estimate the foreign exchange utilised by the farm sector as the statistics of goods imported are maintained productwise and countrywise and not by their intended end use. Goods imported such as petroleum products, chemicals, plants and equipments are utilised in more than one sector. However, during 1994-95 and 1995-96, fertiliser (crude and manufactured) valued at Rs.2877.78 crores and Rs. 4921.53 crores was imported.

(c) As per the WTO Agreement, member States have to provide for the protection of plant varieties either by patent or by an effective sui-generis system. As a developing country India has time till 2000 A.D. to meet this obligation.

(d) As per The Patents Act, 1970, inventions capable of being used as food or methods of agriculture or horticulture are not patentable.

Guidelines for foreign investment

1800. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state: